न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 10/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गौतम पुत्र चिमन लाल निवासी वार्ड नम्बर 14 श्रीकरणपुर हाल रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी प्रथम श्रीगंगानगर		1. रिषी कुमार पुत्र चिमन लाल जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 14 श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 10.02.2020

उपस्थितः 1.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय--

दिनांकः 25/02/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 13 ओ तहसील श्रीकरणपुर जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 69/68 के मुरब्बा नम्बर 03 में 2.720 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नम्बर 36 की 0.228 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 52 की 0.127 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 61 की 0.442 हैक्टर बारानी, मुरब्बा नम्बर 62 की 0.506 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 68 की 0.114 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 84 की 1.240 हैक्टर, तथा मुरब्बा नम्बर 101/12 की 0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल 5.402 हैक्टर नहरी बारानी भूमि में प्रार्थी के नाम दीगर सहखातेदारान अप्रार्थीगण के साथ बतौर खातेदारी 2.267 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें से प्रार्थी को 0.454 हैक्टर अपने पिता से जरिये विरासतन इंतकाल संख्या 593 दिनांक 20.11.2007 को तथा 1.813 हैक्टर नहरी भूमि जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 20.08.2008 के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 759 दिनांकित 07.03.2011 को प्राप्त हुई। उक्त नामान्तरण का इन्द्राज जमाबन्दी खतौनी संख्या 69/68 सम्वत 2064 ता 67 के कॉलम संख्या 11-12 में किया गया था। इसी प्रकार इसी चक के खाता संख्या 57/42 सम्वत 2064 ता 67 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 0.114 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थी के नाम दीगर खातेदारान के साथ 0.095 हैक्टर नहरी भूमि बतौर खातेदारी दर्ज थी। इस भूमि में से 0.019 हैक्टर भूमि प्रार्थी को जरिये दस्तबरदारी नामान्तरण संख्या 593 दिनांक 20.11.2007 के तथा 0.076 हैक्टर नहरी भूमि जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 20.08.2008 के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 759 दिनांक 07.03.2011 को प्राप्त हुई थी। उक्त नामान्तरण का इन्द्राज खाता संख्या 57/42 सम्वत 2064 ता 67 के कॉलम संख्या 11-12 में किया गया था। उक्त [illegible] 2.362 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज थी। इसी अनुसार यह भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली [illegible] है। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि प्रार्थी का सगा बडा भाई है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम उपर्युक्त खाता संख्या 69/68 में 0.453 हैक्टर तथा खाता संख्या 57/42 में 0.[illegible] हैक्टर अर्थात [illegible] में कुल 0.472 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज थी। दोनों ही खाते मुश्तर्का खाता के है, इन खातों में [illegible] भूमि पर सह खातेदार अपने-अपने नाम दर्ज हिस्सा अनुसार मौका पर काबिज चले आ रहे है। उपर्युक्त खातों में प्रार्थी को जरिये दस्तबरदारी प्राप्त उपर्युक्त भूमि पूर्व में ही सह खातेदारान नन्दा देवी पत्नि रमेश कुमार एंव सुषमा देवी पत्नि नरेश कुमार के नाम क्रमशः खाता संख्या 69/68 में 1.813 हैक्टर नहरी भूमि एंव खाता संख्या 57/42 में 0.114 हैक्टर में से 2/3 हिस्सा अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Lak
Date: 2025.09.03 11:5
Reason: SelfAttested

0.076 हैक्टर भूमि बतौर खातेदारी दर्ज कागजात माल थी। नन्दा देवी तथा सुषमा देवी प्रार्थी के नजदीकी सम्बन्धी (चाची) है, खातेदारान नन्दा देवी व सुषमा देवी द्वारा अपनी उपर्युक्त भूमि को प्रार्थी के पक्ष में जरिए दस्तबरदारी हक छोडना चाहा। इस बाबत नन्दा देवी व सुषमा देवी ने अपनी भूमि प्रार्थी के पक्ष में जरिए दस्तबरदारी अन्तरित करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को मुख्त्यारनामा निष्पादित कर सौंपा, चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 मुझ प्रार्थी का सगा बडा भाई था, इसलिए यह मुखत्यारनामा अप्रार्थी संख्या 1 को दिया गया तथा उसे हिदायत की कि वह मुझ प्रार्थी के हक में नन्दा देवी व सुषमा देवी की ओर से दस्तबरदारी निष्पादित एंव पंजीकृत कर भूमि अन्तरित करे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नन्दा देवी व सुषमा देवी के निर्देशों के अनुसार उनके मुख्तयारनामा के आधार पर, उनके नाम की दोनो खातों की कुल 1.889 हैक्टर भूमि जरिए पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 200.08.2008 को मुझ अप्रार्थी के पक्ष में अन्तरित कर दी, मौका पर मुझे कब्जा आराजी सुपूर्द कर दिया। उक्त पंजीकृत दस्तबरदारी को प्रार्थी द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी को प्रस्तुत कर मेरे नाम दस्तबरदारी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया। इस तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण संख्या 759 के आधार पर दोनो खातों की तत्कालीन जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11-12 में इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गयी, उसने प्रार्थी को जरिए पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी के अन्तरित भूमि को हडपने के आशय से षड्यन्त्र रच कर उक्त दस्तावेज के अस्तित्व में रहते, एक बार मुझ प्रार्थी के नाम से नामान्तरण दर्ज हो जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से साजबाज हो कर लोक दस्तावेजों में अनाधिकृत कटिंग कर इस नामान्तरण संख्या 759 पर ही स्वीकृत नामान्तरण के आगे अ लिख अथवा लिखवाकर अस्वीकृत अंकित कर इसे स्वमेव ही बिना किसी आदेश खारिज अंकित कर दिया, जो कि कतई अवैध एंव लोक दस्तावेज में की गई कूटरचना है। उपर्युक्त अनुसार यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से करवायी गयी फर्जी इन्द्राजात का कायम रहने दिया जाता है, तो प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से वंचित होना पडेगा, यह मुझ प्रार्थी के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थी वादाधीन भूमि के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 13 ओ के खाता संख्या 108/102 की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के मुरब्बा नम्बर 3 की 2.720 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 की 0.228 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 52 की 0.127 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 61 की 0.442 हैक्टर बारानी, मुरब्बा नम्बर 62 की 0.506 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 68 की 0.114 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 84 की 0.240 हैक्टर, तथा मुरब्बा नम्बर 101/12 की 0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल 5.402 हैक्टर नहरी बारानी भूमि में प्रार्थी के हिस्सा एंव कब्जा की 2.267 हैक्टर नहरी तथा 138/135 के मुरब्बा नम्बर 3 की 0.114 हैक्टर नहरी में हिस्सा व कब्जा की 0.095 हैक्टर नहरी भूमि में किसी प्रकार से व्ययनित करने, दखल अंदाजी करने अथवा करवाने से सदैव के लिए निषिद्व रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस [illegible] किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कहना गलत है कि 1.813 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जरिए पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 20.08.2008 के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 759 दिनांक 07.03.2011 को प्राप्त हुई हो। उक्त नामान्तरण जमाबन्दी खतौनी संख्या 69/68 सम्वत 2064 ता 67 के कॉलम संख्या 11, 12 में किया गया हो। खाता संख्या 57/42 के मुरब्बा नम्बर 03 की कुल 0.114 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थी के नाम अन्य सहखातेदारान के साथ 0.095 हैक्टर नहरी भूमि बतौर खातेदारी दर्ज थी। इस भूमि में से 0.019 हैक्टर भूमि प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha I
Date: 2025.09.03 11:51:45
Reason: SelfAttested

25/02/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

जरिये दस्तबरदारी नामान्तरण संख्या 593 दिनांक 20.11.2007 के तथा 0.076 हैक्टर नहरी भूमि जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 20.08.2008 के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 759 दिनांकित 07.03.2011 को प्राप्त होने के कथन सरासर गलत अंकित किये गये है। यह कहना भी गलत है कि उक्त नामान्तरण का इन्द्राज जमाबन्दी खतौनी संख्या 57/42 सम्वत 2064 ता 67 के कॉलम संख्या 11 व 12 में किया गया हो। यह कहना गलत है कि उपर्युक्त दोनों खातों में प्रार्थी की कुल 2.362 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज हो तथा उसी अनुसार प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही हो। अतिरिक्त कथन के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में सगे भाई है तथा नन्दा देवी व सुषमा देवी हमारी सगी चाची है। वर्ष 2011 में वादग्रस्त आराजी सम्पति के संबध में माननीय न्यायालय में एक राजस्व प्रकरण लम्बित रहा, जिसमें विचारण के दौरान हम पक्षकारान का आपस में समझौता हो गया। उक्त बंटवारानामा के अनुसार हमारे परिवार की समस्त सम्पति का पारस्परिक सहमति से सम्पति विभाजन हुआ, जिसका बंटवारानामा निष्पादित करवाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा एक बंटवारानामा याददाश्त के तौर पर अलग से निष्पादित करवाकर सभी पक्षकारान को दिया गया। उक्त बंटवारानामा के अनुसार चक 13 ओ की तत्कालीन समस्त कृषि 7 बीघा 10 बिस्वा मुझ अप्रार्थी ऋषि आहुजा के हिस्सा में आई है तथा गौतम आहुजा का चक 13 ओ की कृषि भूमि में कोई हिस्सा नही बनना तय पाया गया। उक्त बंटवारानामा में प्रत्येक पृष्ठ पर प्रार्थी गौतम आहुजा व अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर है। उसी रोज दिनांक 03.05.2011 को एक अन्य दस्तावेज राजीनामा निष्पादित करवाया गया, जिसमें नन्दा देवी व सुषमा देवी के हिस्सा की चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 3 की 1.889 हैक्टर नहरी भूमि के संबध में समझौता किया गया, जिसके अनुसार उक्त कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी ऋषि आहुजा के हिस्सा में आना तय पाया गया। उक्त दस्तावेज पर प्रार्थी गौतम आहुजा व अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर है। उक्त समझौतानामा की पालना हेतु दिनांक 02.09.2011 को नन्दा देवी द्वारा अपनी चक 13 ओ की कृषि भूमि के संबध में दस्तावेज मुख्यारेनामा आम मुझ अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाया जाकर उप पंजीयक कार्यालय श्रीकरणपुर से पंजीबद्व करवाकर मुझ अप्रार्थी को अपनी सम्पति का मुख्तयारेआम नियुक्त किया गया। पारिवारिक सम्पति विभाजन में समस्त पक्षकारान व पारिवारिक सदस्यों की सहमति से नन्दा देवी व सुषमा देवी की चक 13 ओ की सम्पति मुझ अप्रार्थी के हिस्सा में आई थी। तथा उक्त कृषि भूमि के संबध में नन्दा देवी व सुषमा देवी द्वारा मुझ अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत मुख्तयारेनामा, मुखत्यारेआम नियुक्त कर उक्त सम्पति के संबध में समस्त अधिकार प्रदान किये गए थे। इस कारण नन्दा देवी व सुषमा देवी की उपर्युक्त चक 13 ओ की कृषि भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.12.2011 को मुझ अप्रार्थी के पक्ष में विक्रय कर दी, जिसके आधार पर नामान्तरण मुझ अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज हो चुका है। उक्त सम्पति पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा उक्त दानपत्र व प्रार्थना पत्र मुझ अप्रार्थी को नाहक परेशान करने के लिए मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने अधिवक्तागण की बहस विस्तारपूर्वक सुनी। पत्रावली प्रार्थन[illegible] एवं [illegible]ाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलो[illegible] करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 क[illegible] का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:31:45 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः**- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए क्योंकि साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो। कि

25/02/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी/वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हो तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी गौतम द्वारा फेहरिश्त दस्तावेज के रूप में नामान्तरण संख्या 759 की अप्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई। उक्त इंतकाल खाता संख्या 57 के मुरब्बा नम्बर 3 की 0.114 हैक्टर की आराजी में से नन्दा देवी पत्नि रमेश कुमार एंव सुषमा पत्नि नरेश कुमार के नाम दर्ज 2/3 आराजी को जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी (20.08.2008) रिशी आहुजा पुत्र चिमनलाल द्वारा मुख्यारेआम की हैसियत से दस्तबरदारी की गई है। इसी प्रकार नामान्तरण फर्द की अप्रमाणित प्रति एंव रिलीज डीड की अप्रमाणित प्रति के अनुसार नन्दा देवी पत्नि रमेश कुमार एंव सुषमा पत्नि नरेश कुमार दोनों के हिस्से की खाता संख्या 69 की 1.813 हैक्टर आराजी को जरिये रिशी कुमार द्वारा मुख्यारेनामा से गौतम के पक्ष में दस्तबरदारी (20.08.2008) द्वारा नामान्तरण दर्ज है। उक्त नामान्तरण की अप्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर सरपंच द्वारा "यह इंतकाल दर्ज कर अस्वीकृत किया जाता है" की प्रविष्टि अंकित है। हमने इन्तकाल संख्या 759 तथा रिलीज डीड (20.08.2008) की अप्रमाणित का अध्ययन किया। अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ प्रस्तुत फेहरिश्त दस्तावेजों का हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। अप्रार्थी रिशी कुमार द्वारा मुख्यारनामा आम 02.09.2011 की अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। नन्दा देवी पत्नि रमेश कुमार और सुषमा पत्नि नरेश कुमार दोनों द्वारा पृथक-पृथक 02.09.2011 को रिशि पुत्र चिमनलाल के पक्ष में किये गए आम मुख्यारनामो की अप्रमाणित प्रतियों का अध्ययन किया। उक्त मुख्यारनामों के आधार पर रिशी कुमार द्वारा बैयनामा (16.12.2011) की अप्रमाणित प्रति पेश की। जिसमें नन्दा देवी और सुषमा के मुख्यारनामें के आधार पर रिशि पुत्र चिमनलाल एक बैयनामा रिशि पुत्र चिमनलाल के पक्ष में संपादित करता है। तथा उक्त बैयनामे 16.12.2011 के आधार पर नामातंरण संख्या 795 की अप्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई।

हमने हस्तगत प्रकरण का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में पृथम दृष्टया यह प्रतीत होता है। कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एकाधिक मुख्यारनामें, दस्तबरदारी एंव बैयनामें हुए है। यह साक्ष्य का विषय है कि इन्तकाल संख्या 759 किस आधार पर अस्वीकृत किया गया। प्रार्थी के पक्ष में की गई दस्तबरदारी दिनांक 20.08.2008 को कब और किस न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया। यह सम्पूर्ण तथ्य मूलवाद के साक्ष्य है। हस्तगत प्रकरण में भू-अभिलेखों में होने वाली जटिलताओं यदि आराजी का कोई और बैयनामा होता है। तो उससे बचने के लिए हम प्रकरण में अस्थाई व्यादेश ताफैसलावाद दिया जाना उचित समझते है।

2.सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला पहले ही प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। लिहाजा राजस्व अभिलेखों में बेचान इत्यादि से [illegible] जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3.अपूरणीय क्षति:- चूंकि बिन्दू संख्या 01 प्रथम दृष्टया मामला तथा बिन्दू संख्या 02 सुविधा का [illegible]ई संतुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेखों [illegible] परिवर्तन होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित होता है।

25/02/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:45 IST
Reason: SelfAttested

गौतम बनाम रिषी कुमार आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 10/2020

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी/वादी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम उचित/ विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 13 ओ तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 108/102 जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के मुरब्बा नम्बर 3, 36, 52, 61, 62, 68, 84, 101/12 की कुल 5.402 हैक्टर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा काश्त की 2.267 हैक्टर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि व इसी चक के खाता संख्या 138/135 के मुरब्बा नम्बर 3 में प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा काश्त की 0.095 हैक्टर नहरी आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

25/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 25/02/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

25/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:45 IST
Reason: SelfAttested